

नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण करने पर योजना
के लाभ हेतु प्रधानाचार्य द्वारा अग्रसारण

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदिका सुश्री
..... पुत्री श्री एवं
श्रीमती के द्वारा वर्ष में कक्षा
12वीं की परीक्षा इस विद्यालय से उत्तीर्ण की गयी है ।

दिनांक प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर
प्रधानाचार्य का नाम
विद्यालय का नाम
प्रधानाचार्य की मुहर